

कार्यालय तहसीलदार (मुरादाबाद), जनपद मुरादाबाद

प्रमाण पत्र संख्या 04212300820

ना०-1,387 / 13/03/2012

दिनांक 16/03/2012

उत्तर-प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1

लेखपाल हाजी रियासत हुसैन की आख्या दिनांक 13/03/2012 तथा राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौधरी की आख्या दिनांक 13/03/2012 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि कु० नाजिया जमीर पुत्री श्री जमीर अहमद निवासी ग्राम/मौ० लाजपतनगर मकान सं०-बी 793 तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश राज्य की मोमिन (अंसार) पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर-प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु0 नाजिया जमीर अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-2 (जैसा कि उत्तर-प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर-प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है) से आच्छादित नहीं है। इनके नाता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पाँच लाख रूपयें या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से सम्पत्ति भी नहीं है। कु0 नाजिया जमीर तथा उनका परिवार उत्तर-प्रदेश के ग्राम/मौ0 , लाजपतनगर मकान सं0-बी 793 तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद में समान्यता रहता है।

तहसीलदार (मुर्शदाबाद)

जनपद मुद्रादायक

नोट :- यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर इसका क्रमांक अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Confidential

प्रपत्र जारी कर्ता
तहसील मुरादाबाद